बालिका शिक्षा, विकास एवं अभिवृत्ति परिवर्तनः हरदोई जनपद के अभिभावकों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुनील कुमार
सहा0 आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
श्री ठाकुर जी महाराज स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हेरवल, हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत ।
Email: anil.aina@gmail.com

सारांश

बालिका शिक्षा एवं महिला सषक्तीकरण पर अभिभावकों का दृष्टिकोण बदल रहा है, लेकिन लिंगभेद एवं सामाजिक गैरबराबरी के कारण बालिका शिक्षा अभी तक अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे है। इसलिए कहा जा सकता है कि लैंगिक भेद मिटाये बिना समग्र शिक्षा की बात बेइमानी होगी। महिलाएं बाल पोषण, समाजीकरण एवं परिवार की देखभाल के अतिरिक्त विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करती हैं, लेकिन उनके इस योगदान को भारतीय समाज की अर्द्ध–सामन्ती विचारधारा के आधुनिकीकरण द्वारा उत्पन्न विसंगति से नजरंदाज किया जा रहा हैं। बालिका शिक्षा के सकारात्मक परिणामों को हम ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों में अभिभावकों की बउलती अभिवृत्ति के रूप में देख सकते हैं।

मुख्य शब्द: *सामाजिक ढांचा, रोजगार परक शिक्षा, लिंगभेद, सामाजिक समानता।*

प्रस्तावना

परिवार समाज ही प्रथम इकाई है, जो नारी के इर्दगिर्द घूमती रहती है। अगर घर की नारी कुशल, समझदार व शिक्षित नहीं होगी तो नहीं परिवार सफल होगा और नहीं सामाजिक ढांचा विस्तार ले सकेगा। परिवार की साझी दुनिया नारी को सम्मान दिये बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, और नारी के सम्मान, आत्मबल, सशक्तीकरण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने वाला अंग है। किसी भी समाज में समाजीकरण का पहला सोपान माता और शिशु के बीच प्रेमपूर्ण लगाव की स्थापना के साथ आरम्भ होता है। लेकिन समय के साथ माता से आश्रय का सोपान परिवार द्वारा कम किया जाता है, तो संतान पिता को अतिक्रमणकारी, अधिकार जमाने वाला मानने लगता है (जानसन, 1990, 131)। यही अधिकारों की खींचतान एवं भूमिका विन्यास की प्रक्रिया संतान के मन में द्वन्द्व पैदा करती है। जो परिवार, विशेषतः मातायें अपने बच्चों को सही दिशा देने में सफल नहीं होती हैं, वहीं पर बच्चे विचलनकारी व्यवहार अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि समाज में सतत् विकास के लिए बालिका शिक्षा पर सर्वोपरि ध्यान देना होगा।

ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले एवं अन्य समाज सुधारकों ने सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। आधुनिक भारत की विधिक रचना ''भारतीय संविधान'' सभी नागरिकों को न केवल मानवीय जीवन जीने का अवसर देता है, अपितु शिक्षा, समानता एवं पोषण के मौलिक अधिकारों, सार्वजनिक जीवन जीने, राजनीति सहभागिता का भी मार्ग प्रशस्त करता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को न केवल संपत्ति, विवाह, तलाक आदि में समानता का अधिकार दिलाया अपितु उन्हें सशक्त करने का कार्य किया। इन अधिकारों ने भारतीय महिलाओं को शिक्षित एवं सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही बालिका शिक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के विरूद्ध चली आ रही पुरातन परम्परा के स्थान पर संविधान के तहत समानता की राह आसान की। आज संवैधनिक अधिकार के साथ आधुनिक भारत में स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, पारिवारिक संरचना एवं विवाह के प्रति बदलते दृष्टिकोण; नारी के विभिन्न स्वरूपों में बदलती भूमिका, परपंरा एवं संस्कृति से उत्पन्न स्वचेतन विचार समाज में बालिका शिक्षा के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं (कुमार, 2018)।

भारत में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु उपाय

भारतीय शिक्षा नीतियों में लैंगिक विभेद मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं (Chanana, 2017, 117)। समाज में विभेदकारी सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों, संवैधानिक प्रयासों से प्राप्त सकारात्मक परिणामों को नकारा नहीं जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

1. ज्याोतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने सन् 1848 में पहला विद्यालय भिण्डेवाड़ा, पुणे में खोला, जिसमें महार एवं मांग जाति के बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिला (Taneja, 2017)।

2. महादेव गोविन्द रानाडे, राजाराम मोहन राय एवं इश्वरचन्द विद्यासागर ने भी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं लिंगभेद सहित अनेकों सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए योगदान दिया।

3. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के माध्यम से महिला एवं पुरूषों समेत सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये हैं (Ambedkar, 1950)। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर कुठाराघात करके महिलाओं के लिए आवाज उठाई।

4. विभिन्न शिक्षा आयोगों/समितियों द्वारा बालिका शिक्षा का प्रोत्साहनः भारत के इतिहास में सन् 1792 के चार्ल्स ग्रांट अवलोकन से लेकर अब तक 30 से अधिक शिक्षा आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट तथा सुझाव प्रस्तुत किये जा चुके हैं (कुमार, 2018)।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति में आई जागरूकता एवं विकास का अध्ययन करना है। साथ ही यह भी ज्ञात करना है कि वर्तमान समय में अभिभावक किस प्रकार की बालिका शिक्षा पर बल दे रहे हैं। विभिन्न जातीय समुदायों में शिक्षा के प्रति आकर्षण का अध्ययन करना आदि।

उपकल्पना

उपकल्पना एक ऐसा पूर्वानुमान है, जिसको वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाना बांकी है। इस अध्ययन में निम्न उपकल्पनाओं को पुश्ट करने का प्रयास किया गया है।

1. संवैधानिक प्रावधानों एवं अवसरों की उपलब्धता से अभिभावकों में जागरूकता बढ़ी है।
2. आज माता–पिता अपने बच्चों को रोजगारपरक षिक्षा के प्रति लालायित है।
3. समाज में व्याप्त लिंगभेद एवं बढ़ती यौनिक हिंसा की घटनायें अभिभावकों में चिंता का कारण हैं।

अध्ययन क्षेत्र की पष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में किया गया। अध्ययन के लिए मल्लावाँ विकासखण्ड को चुना गया। मल्लावाँ का शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है, यहां के भगवन्तनगर में निवास करने वाले ब्राह्मण परिवारों ने न केवल मल्लावाँ में विद्यालय खोले अपितु प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कान्यकुब्ज कॉलेज खोलकर षिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। अध्ययन क्षेत्र में प्रभुत्वषील जाति के रूप में पहले ब्राह्मण थे, लेकिन कृषि क्षेत्र में उन्नति, सांस्कृतिक बदलाव एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप कुर्मी जाति प्रभुत्वशील जाति के रूप में उभरी है। कुर्मी जाति के बालक–बालिकाओं ने शिक्षा, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में उच्च कीर्तिमान स्थापित किया है। इस जाति के सांस्कृतिक मूल्यों (आर्य समाज पद्धति) का प्रभाव क्षेत्र की अन्य जातियों पर भी देखने को मिलता है। वर्तमान में मल्लावाँ नगरपालिका क्षेत्र के साथ विकासखण्ड के विभिन्न गाँवों में दो दर्जन से अधिक इण्टर कॉलेज एवं आधा दर्जन महाविद्यालय हैं।

अध्ययन विधि

अध्ययन के आरम्भ में गुडे एवं हॉट् (1952, 65) ने सामाजिक शोधकर्ताओं को दिये सुझावों के अनुसार साहित्यिक साहित्य समीक्षा, अध्ययन की समस्या का निरूपण, अवधारणात्मक समझा विकसित करने के बाद उपकल्पनाओं का निर्माण किया, तथा अध्ययन में शामिल अभिभावकों सम्पर्क कर उनके बालिका शिक्षा पर विचार ज्ञात किये। अध्ययन की प्रमाणिकता और वैज्ञानिक पुष्टि हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध विधियों को अपनाया गया है। वर्तमान अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विष्लेषण है।

निदर्शन

अध्ययन की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए हरदोई जनपद के दूरस्थ विकासखण्ड मल्लावाँ के दो माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 300 बालिकाओं के अभिभावकों को निदेर्श के रूप में चुना गया। इन उत्तरदाताओं को लाटरी विधि (दैव निदर्शन) से अध्ययन हेतु चुना गया है। (**तालिका–1**)। इस अध्ययन के लिए हरदोई जनपद के ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली बालिकाओं के मातापिता को चुना गया।

तालिका–1: निदर्शन का स्वरूप

उत्तरदाताओं का प्रकार	**ग्रामीण**	**उपनगरीय (नगरपालिका)**
माता	75 (50)	75 (50)
पिता	75 (50)	75 (50)
कुल	**150**	**150**

(कोष्ठक में दी गयी संख्यायें प्रतिशत दर्शाती हैं)

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण

भारतीय समाज में आधुनिक विचारधारा को अपनाने के बावजूद बालिका शिक्षा के प्रति बालकों की तुलना में कम सजगता आयी है। भारत के साथ अन्य पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान एवं बंग्लादेश में पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को उच्च शिक्षा देने में अभिभावक अधिक रूचि लेते हैं, क्योंकि माता–पिता उन्हें परिवार की सक्रिय आर्थिक परिसंपत्ति मानते हैं। क्यों पुत्रियां विवाह के पश्चात बाहर (पति के घर) चली जायेंगी, जबकि पुत्रों को कृषक एवं अल्प मध्यम आय वर्ग में एक बीमा की तरह मानते हैं (Dube, 1997, 146½A एक ओर यह माना जाता है कि अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा में सहभागी होना बच्चों के शैक्षिक समाजीकरण एवं षैक्षणिक सफलता पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारकों में से एक है (Taylor, and Clayton, 2004, 168), वहीं दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति एवं अभिभावकों द्वारा बालिका षिक्षा के लिए कॉलेज प्लॉन में मदद के मामले में बालकों के कॉलेज प्लान बनाने से अधिक मजबूत सम्बन्ध है (Sewell and Shah, 1968, 564)।

छात्राओं के पिता से बात करने से पता चला कि अधिकांश पिता (86 प्रतिशित) बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के पक्षधर हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं 80. 67 प्रतिशत पिता सशक्त समाज बनाने के लिए बालिकाओं को शिक्षित बनाना जरूरी मानते हैं। लगभग 85 प्रतिशत पिता, शिक्षा पर बालिकाओं का उसी प्रकार हक दिलाना चाहते है, जिस प्रकार बालकों को। सर्वाधिक (97.33 प्रतिशत) पिता यह मानते हैं कि समाजीकरण की पहली जिम्मेदारी माताओं की होती है, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित होना जरूरी है। केवल 24 प्रतिशित पिता यह मानते हैं कि बालिकाएं पराया धन हैं, इसलिए उन्हें कम शिक्षा देना चाहिए, जबकि 95 प्रतिशत छात्राओं के पिता बालिकाओं के लिए शिक्षा का समान अधिकार सरकार की जिम्मेदारी मानते है। तालिका–2 के अनुसार उपनगरीय क्षेत्र के पिता ग्रामीण अंचल से आने वाली छात्राओं के पिता से अधिक जागरूक हैं।

तालिका–2: बालिका शिक्षा के प्रति पिता की अभिवृत्ति

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति	ग्रामीण		उपनगरीय (नगरपालिका)		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षा देना, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें।	61	81.33	68	90.67	129	86.00
सशक्त समाज बनाने के लिए बालिकाओं को शिक्षित बनाना जरूरी	58	77.33	63	84.00	121	80.67
शिक्षा बालिकाओं का भी उसी प्रकार हक है, जिस प्रकार बालकों का।	57	76.00	70	93.33	127	84.67
स्माजीकरण की पहली जिम्मेदारी माताओं की होती है, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित होना जरूरी है।	71	94.67	75	100.00	146	97.33
बालिकाएं पराया धन मानते हैं, इसलिए कम शिक्षा देना चाहिए	21	28.00	15	20.00	36	24.00
बालिकाओं के लिए समान अधिकार सरकार की जिम्मेदारी है।	68	90.67	74	98.67	142	94.67
कुल	**75**	**100**	**75**	**100**	**150**	**100**

स्रोतः क्षेत्रीय अध्ययन.

छात्राओं के पिता की तुलना में माताओं के विचार अपनी बेटियों को शिक्षा बनाने पर अधिक जोर देते हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकांश माताएं (90 प्रतिशत) बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के पक्षधर हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें। जबकि 81.33 प्रतिशत माताएं सशक्त समाज बनाने के लिए बालिकाओं को शिक्षित बनाना जरूरी मानती हैं। लगभग 89 प्रतिशत माताएं, शिक्षा पर बालिकाओं का उसी प्रकार हक दिलाना चाहते है, जिस प्रकार बालकों को। सर्वाधिक (97.33 प्रतिशत) माताएं उनके पिता की भांति यह मानते हैं कि समाजीकरण की पहली जिम्मेदारी माताओं की होती है, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित होना जरूरी है। केवल 28 प्रतिशत माताएं यह मानती हैं कि बालिकाएं पराया धन होती हैं, इसलिए उन्हें कम शिक्षा देना चाहिए, जबकि 90 प्रतिशित छात्राओं की माताओं का मानना है कि बालिकाओं के लिए शिक्षा का समान अधिकार सरकार की जिम्मेदारी है। तालिका–3 के अनुसार उपनगरीय क्षेत्र की माताएं ग्रामीण अंचल से आने वाली छात्राओं की माताओं से अधिक जागरूक हैं।

तालिका–3: बालिका शिक्षा के प्रति माताओं की अभिवृत्ति

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति	ग्रामीण		उपनगरीय (नगरपालिका)		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षा देना, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें।	64	85.33	71	94.67	135	90.00
सशक्त समाज बनाने के लिए बालिकाओं को शिक्षित बनाना जरूरी	54	72.00	68	90.67	122	81.33
शिक्षा बालिकाओं का भी उसी प्रकार हक है, जिस प्रकार बालकों का।	64	85.33	69	92.00	133	88.67
स्माजीकरण की पहली जिम्मेदारी माताओं की होती है, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित होना जरूरी है।	72	96.00	74	98.67	146	97.33
बालिकाएं पराया धन मानते हैं, इसलिए कम शिक्षा देना चाहिए	24	32.00	18	24.00	42	28.00
बालिकाओं के लिए समान अधिकार सरकार की जिम्मेदारी है।	64	85.33	71	94.67	135	90.00
कुल	**75**	**100**	**75**	**100**	**150**	**100**

स्रोतः क्षेत्रीय अध्ययन.

अध्ययन क्षेत्र के नगरीय समुदाय में मुस्लिम जनसंख्या भी पर्याप्त है, इसलिए उनके विषय में जानकारी देना भी उचित है। मुस्लिम आबादी भी अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मल्लावाँ के सम्पन्न मुस्लिम परिवार न केवल बालकों को आधुनिक शिक्षा देते हैं अपितु बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ तथा लखनऊ के विश्वविद्यालयों में भेजते हैं। जबकि गरीब परिवारों के माता–पिता आज भी गैर रोजगारपरक शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा पर आश्रित हैं। इस बात की पुष्टि जेफरी (2004) के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किये गये अध्ययन के आधार पर भी होती है, जिसमें कहा गया है कि आजकल मदरसा में दी जाने वाली उर्दू, अरबी, फारसी की शिक्षा केवल गरीब मुस्लिमों के हिस्से में ही बची है।

नायला कबीर बालिका शिक्षा को सशक्तीकरण से जोड़ते हुए कहती हैं कि यदि कोई महिला शिक्षा प्राप्त कर स्वविकास के साथ आने वाली पीढ़ी विशेषतः बेटियों को शिक्षित एवं सक्षम बनाने के लिए प्रयास करती है तो वह महिला सशक्त मानी जायेगी (Kabeer, 1999, 435)। करूना चानना ने लैंगिक विषमता पर सवाल उठाते हुए माता–पिता की बालक एवं बालिकाओं की षिक्षा में भेद को दर्षाया है। जहां लड़कों को महंगे निजी स्कूलों तथा लड़कियों को सस्ते विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं (Chanana, 2003, Kumar, 2017, 187)। इसलिए बालिका षिक्षा के लिए सामाजिक संरचना की जड़ों को हिलाने वाले प्रयास करने होंगे।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्ययन में सम्मिलित अभिभावकों के साथ हुए अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से हैंः

1. प्रस्तुत शोध में पाया गया है कि, अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिरूचि में सकारात्मक बदलाव आया है।

2. छेड़छाड, बलात्कार की बढ़ती घटनायें एवं इस तरह की घटनाओं की आषंका ने ग्रामीण गरीब परिवारों की बालिकाओं के माता–पिता को आने जाने के दौरान अनहोनी का भय बना रहता है।

3. स्थानीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में ग्रामीण बालिकाओं के परम्परागत विषयों में अध्ययन की रूचि कम हुई है।

4. अभिभावकों के साथ छात्राओं में भी रोजगारपरक पाठ्यक्रमों यथा– बी.टी.सी., बी.एड., ए.एन.एम., जी.एन.एम. एवं अन्य तकनीकी पाठ्क्रमों के प्रति रूझान बढ़ा है। यही कारण है कि इस जनपद मुख्यालय से 50 किमी दूर होने के बावजूद विकासखण्ड मल्लावाँ में शिक्षा का स्तर सर्वाधिक है।

5. सर्वाधिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराने में अग्रणी होने के कारण मल्लावाँ को लघु विश्वविद्यालय एवं नर्सों की भूमि भी कहा जाता है।

6. राजनैतिक सक्रियता, परम्परा एवं आधुनिकता के मध्य सामन्जस्य स्थापित करने के कारण क्षेत्र में अस्पृश्यता, लिंगभेद, जाति एवं प्रजाति भेदभाव काफी हद तक कम हुआ है। जिसका प्रभाव बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रजातन्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये पर्याप्त वातावरण व अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्र में खुले अनेक महाविद्यालयों में योग्य एवं मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति राज्य

सरकार द्वारा की जानी चाहिये अन्यथा शिक्षा के बाजारीकरण का नकारात्मक प्रभाव अल्प आय वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के जीवन पर अधिक पड़ेगा। जिससे पुरुष प्रधानता की क्रूरता बढ़ेगी तथा पितृसत्तात्मक विचारधारा कायम रहेगी, जो एकपक्षीय होने के साथ परिवारों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास को अवरूद्ध कर देगी।

सन्दर्भ

1 Ambedkar, B. R. 1943 *Ranade Gandhi & Jinnah,* Address Delivered on The 101st Birthday Celebration of Mahadev Govind Ranade, Held on The 18th January 1943, Bombay: Thacker & Co, Ltd. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_ranade.html.

2 Ambedkar, B. R. 1947 *Hindu Code Bill*, http://thewirehindi.com/6046/hindu-code-bill-controversy/ Retrived on: 30 June 2018.

3 Ambedkar, B. R. 1950 *The constitution of India"* Government of India, https://www.india.gov.in, Retrived on: 30 June 2018.

4 Chanana, Karuna 2003 *Female Sexuality and Education of Hindu Girls in India"* in Sharmila Rege (ed). Sociology of Gender: The Challenges of Feminist Sociological Knowledge, New Delhi & London, Sage Publications.

5 Chanana, Karuna 2017 Gender in the New Education Policy 2016 in the Making Process and Outcome, *Higher Education for the Future*, Vol. 4, No. 2, pp 117-128.

6 Goode, WJ and Hatt, PK 1952 Methods in *Social Rsearch*, New York: Mcgraw-Hill Book Co.

7 Jeffery, Patricia, Jeffery, Roger and Jeffrey, Craig 2004 Islamization, Gentrifcation and Domestication: 'A Girls' Islamic Course' and Rural Muslims in Western Uttar Pradesh, *Modern Asian Studies*, Vol. 38, Issue 01, pp **1 – 53.**

8 Kabeer, Naila 1999 "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurements of Women Empowerment", *Development and Change*, Vol. 30, pp **435-464**.

9 Dube, Lila, 1997 *Women and kinship: Perspectives on gender in South and South-East Asia*, Tokyo, United Nations University Press.

10 Sewell, William H. and Shah,Vimal P. 1968 Social Class, Parental Encouragement, and Educational Aspirations, *American Journal of Sociology,* Vol. 73, Issue 5, **559-572.**

11 Taylor, L.C. and Clayton, J. D. 2004 Academic Socialization: Understanding Parental Influences on Children's School-Related Development in the Early Years, *Review of General Psychology*, Vol. 8, No. 3, 163–178.

12 Taneja, Richa 2017 *Remembering Jyotirao Phule: The Pioneer of Girls' Education in India*, https://www.ndtv.com.

13 कुमार, सुनील 2018 भारत में बालिका शिक्षा : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, *शोधमंथन*, वैल्यूम–09, अंक–03।

14 जानसन, हेरी एम. 1990 *समाजषास्त्र : एक विधिवत विवेचन*, लुधियाना, कल्याणी पब्लिशर्स।